प्रताप की पत्रकारिता दृष्टि

भारत में हिंदी पत्रकारिता का जन्म प्रतिरोध की परंपरास्वरूप हुआ। अखबार और पत्रिकाएं केवल समाचार और सूचना का माध्यम भर न थे बल्कि वह राष्ट्रवाद और जन जागरण के संवाहक थे। पत्रकारिता एक मिशन थी अपने देश, राष्ट्र को मुक्त कराने और उसे समृद्ध बनाने की। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम से 3 साल पहले ही 1854 में श्यामसुंदर सेन द्वारा प्रकाशित/संपादित हिंदी के पहले दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' से ही इसकी नींव रख दी गई थी।
"मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने एक फरमान निकाला जिसमें देशवासियों से अपील की गई कि वह अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें। इस फरमान को 'समाचार सुधावर्षण' में ज्यों का त्यों छाप दिया गया। उत्तेजना रोकने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने 13 जून1857 को प्रेस एक्ट पारित किया और लेखन मुद्रण की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया। इस कानून के अंतर्गत 17जून1857 को 'समाचार सुधावर्षण' के संपादक श्यामसुंदर सेन पर पहला मुकदमा चला। श्याम सुंदर सेन ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का प्रतिवाद किया। देश के शासक के फरमान का प्रकाशन राजद्रोह की परिधि में नहीं आता। न्यायाधीशों के सामने वैधानिक कठिनाई आ गई कि उस समय भारत का वैधानिक शासक मुगल बादशाह था जिसके नाम से इंडिया कंपनी राजस्व वसूली करती थी।"1 कंपनी ने 'समाचार सुधावर्षण' से मुकदमा वापस ले लिया और 'समाचार सुधावर्षण' फिर लगातार गदर की खबरें जनता तक पहुंचाता रहा।

इसी परंपरा में दिन प्रतिदिन अलग-अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं ने मोर्चा संभाला। प्रतिरोध की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन 'प्रताप' इस परंपरा का 19वीं सदी का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय और प्रसार संख्या वाला अखबार बनकर उभरा । उस जमाने में प्रताप की प्रसार संख्या 9हजार से 15हजार के बीच थी। प्रताप हिंदी का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की आजादी की सबसे मुखर आवाज बन गया। प्रताप ने न सिर्फ अंग्रेजों के बल्कि देश की सामंतीताकतों के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया। जिससे अंग्रेजों के साथ ही देशी सामंत रियासतदार भी उसके शत्रु बन गए।
विद्यार्थी जी ने अपने तीन साथी शिव नारायण मिश्र , नारायण प्रसाद अरोड़ा और यशोदानंदन के साथ मिलकर 9 नवंबर 1913 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में प्रताप की नींव डाली थी जन्म काल से ही प्रताप का दफ्तर क्रांतिकारियों की शरण स्थली था तो युवाओं के लिए पत्रकारिता का प्रशिक्षण केंद्र! विद्यार्थी ने महज पाठकों के लिए ही नहीं लिखा बल्कि नए लेखक पत्रकार तैयार करने और पत्रकारिता को मिशन बनाने की दिशा में भी काम किया। प्रताप के माध्यम से जन जागरण का अभियान चलाया गया। जनआंदोलनों को आगे बढ़ाने के पुरस्कार स्वरूप बार-बार प्रताप संपादकों-प्रकाशकों को बार बार जेल तक जाना पड़ा परंतु प्रताप अपने मूल्यों-सिद्धांतों से नहीं डिगा।

"गणेश शंकर विद्यार्थी ने तथाकथित वस्तुपरकता के नाम पर लेखकीय तटस्थता की दुहाई कभी नहीं दी उनकी वैचारिक राजनीतिक पक्षधरता स्वघोषित सुस्पष्ट थी राष्ट्रीय आंदोलन और जमीदारों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष उनके लिए जीवन की अध्ययनशाला थे और उनका अध्ययनकक्ष भी उनके जीवन समर के प्रांगण का ही एक भाग था। न केवल अपने निर्भीक लेखन के चलते बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन और किसान आंदोलन में भागीदारी के चलते भी विद्यार्थी जी को सत्ता के कोप और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा कई बार जेल जाना पड़ा जुर्माना भरने पड़े और प्रताप पर जब्ती और बंदी की तलवार लटकती ही रहती थी।"2

विद्यार्थी जी ने प्रताप के पहले अंक में 'प्रताप' की नीति शीर्षक प्रताप की व्यापक पत्रकारिता दृष्टि को रखा जो भारतीय पत्रकारिता का प्रतिमान बन गया। उन्होंने लिखा-

"आज अपने हृदय में नई नई आशाओं को धारण करके और अपने आदर्शों पर पूर्ण विश्वास रखकर प्रताप कर्म क्षेत्र में आता है समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परम उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति कर एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी साधन हम भारतवर्ष की उन्नति समझते हैं इसी के साथ उन्होंने इसी लेख में आगे यह भी स्पष्ट किया कि पत्रकारिता किसके लिए उन्होंने लिखा कि हम न्याय में राजा का साथ देंगे परंतु अन्याय में दोनों में से किसी का नहीं हमारे यहां हार्दिक अभिलाषा है कि देश की विभिन्न जातियों और संप्रदायों और वर्णों में परस्पर मेल मिलाप बढ़े।"3

और अंत में जिस उच्च आदर्श की स्थापना की उसकी आज के समय में तो कल ना ही नहीं की जा सकती उन्होंने लिखा-

"जिस दिन हमारी आत्मा ऐसी हो जाए कि हम अपने प्यारे आदर्श से डिग जाएं, जानबूझकर असत्य के पक्षपाती बनने की बेशर्मी करें और उदारता स्वतंत्रता और निष्पक्षता को छोड़ देने की भी रोता दिखाएं। वह दिन हमारा जीवन का सबसे अभागा दिन होगा और हम चाहते हैं कि हमारी उस नैतिक मृत्यु के साथ ही साथ हमारे जीवन का अंत हो जाए।"4

लेकिन ऐसा क्षण उनके जीवन में कभी नहीं आया प्रताप अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहा और उसी पथ पर चलते चलते भगत सिंह की शहादत के तीसरे दिन कानपुर में दंगों को रोकते हुए विद्यार्थी जी ने शहादत का वरण किया।

प्रताप ने अपने समय के भारतीय राष्ट्रीय, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक नया आयाम गढ़ा। विभिन्न आंदोलनों के विषय में प्रताप में जो लेख लिखे गए वह उस समय का दस्तावेज बन गए । प्रताप में जनमानस की समस्याओं का ही नहीं बल्कि उनके विचारों का भी संपूर्ण सम्मान था। सामान्य से सामान्य पाठक/लेखक के पत्रों/लेखों को भी पूरा महत्व दिया जाता। प्रताप की सामग्री सामाजिक और रोचक होती थी, लेख संक्षिप्त परंतु उच्च स्तरीय होते थे। प्रताप की भाषा जनसामान्य की भाषा थी, जिसे हर कोई समझ सके। प्रताप की लोकप्रियता का एक कारण उसकी यह शैली भी थी। प्रताप के लिए जनहित से ऊपर कुछ भी न था इसीलिए

बड़े से बड़े व्यक्तित्व की भी यदि कोई बात व्यापक जनसमुदाय के हित में न लगती तो प्रताप उसकी आलोचना करने से भी पीछे न हटता।

प्रताप ने पत्रकारिता की नई परंपराएं शुरू कीं। प्रताप ने अपना सालाना विशेषांक निकालने के साथ ही पुस्तिका प्रकाशन की अनोखी परंपरा डाली। एक पीड़ित की प्रार्थना नामक उसकी पहली पुस्तिका चंपारण में नील के खेतों के मालिकों के अत्याचारों का आंखों देखा हाल लिखा, जिला प्रशासन ने वह पुस्तिका जप्त कर ली थी।
जब खोजी पत्रकारिता का हल्ला नहीं था तब प्रताप के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी ने आम आदमी की छोटी-छोटी समस्याओं और देसी रियासतों के पापाचार को उजागर किया था । शोषक वर्ग के विरुद्ध देश के आम आदमी के संघर्ष की रहनुमाई की चंपारण के किसानों के दुःख दर्द की जमीनी रिपोर्टिंग की। उसके बाद रायबरेली हत्याकांड में किसानों पर जमींदार द्वारा गोलियां चलवाने का भी तथ्यपरक रिपोर्टिंग की।
प्रताप जनपत्रकारिता की जीती जागती मिसाल था, प्रताप जिस जनता के दुःख दर्द के लिए खतरा उठाता था, प्रताप के प्रकाशक/ संपादक जुर्माना जब्ती और जेल जेल झेले थे, उसी जनता ने बार-बार प्रताप को बचाया भी।

"नानक सिंह हमदम द्वारा रचित सौदा ए वतन शीर्षक कविता प्रकाशित हुई तो शासन बौखला गया। जमानत जमा करने तक अखबार का प्रकाशन जारी रखना संभव न था और तत्काल ₹1000 का इंतजाम संभव न था। प्रताप में नई नीति अपनाते हुए जनता की अदालत में जाने का फैसला लिया और पाठकों ने देखते ही देखते जमानत के लिए धन जुटा दिया। 8 जुलाई 1918 को अखबार का अगला अंक आया जिसमें प्रताप की दिलेरी और सरकारी दमन का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया गया। पाठकों और आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा कि लोग मुक्त हस्त से प्रताप को आर्थिक सहयोग भेजने लगे और देखते ही देखते ₹8000 का फंड एकत्रित हो गया।पाठकों के सहयोग को देखते हुए विद्यार्थी ने प्रताप को एक ट्रस्ट बनाकर सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया। "5

"मैनपुरी मानहानि केस 12 अगस्त 1926 से 17 नवंबर 1926 जब शिकोहाबाद थानेदार की रिश्वतखोरी की खबर छापने पर उल्टे अखबार पर ही मानहानि केस कर दिया गया मजिस्ट्रेट ने दोनों अभियुक्तों पर ₹400 जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा सुनाई तो विद्यार्थी जी और सुरेंद्र जी ने जुर्माना न देकर जेल जाना चुना लेकिन पाठकों को उनका जेल जाना मंजूर नहीं था ऐसी हालत में पाठकों ने जुर्माने की रकम अदा कर संपादक प्रकाशक को 24 घंटे में ही जेल से छुड़ा लिया,जब निचली अदालत से न्याय न मिला तो जनता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां से दोनों लोग निर्दोष सिद्ध हुए।"6

इसी तरह प्रताप की विज्ञापन नीति भी स्पष्ट थी-

" प्रताप के संचालकों ने प्रताप निकालने के कुछ ही वर्षों बाद इस बात को महसूस किया कि प्रताप में हर तरह के विज्ञापन न छापे जाएं। हर तरह के विज्ञापन छापने से पैसे तो मिलते हैं परंतु उनसे कुरुचि का भी प्रचार होता है लोगों की नैतिक तथा आर्थिक हानि होती है। इसलिए प्रताप में ऐसे विज्ञापनों को स्थान देना बंद कर दिया गया जब प्रताप ने शुरू में इस नीति का अवलंबन किया तो उसके बहुत से विज्ञापनदाता उससे नाराज हो गए। बहुतों ने प्रताप में अपना विज्ञापन देना बंद कर दिया। कईयों ने अपने रुपए वापस मंगाए।परंतु प्रताप यह क्षति उठाकर भी अपने मार्ग से तनिक विचलित न हुआ ।" 7
इस प्रकार विज्ञापनों के नियंत्रण की ऐसी नींव डालकर उसने समाचार पत्रों के विज्ञापन संबंधी दूषण को दूर करने का सराहनीय प्रयास किया।

अखबारों में अलग से साहित्यिक पृष्ठ देने की परंपरा की शुरुआत प्रताप से ही हुयी। शिकायती पत्रों या संपादक के नाम पत्र का सिलसिला भी प्रताप से ही शुरू हुआ। प्रताप का साहित्यिक अवदान भी महत्वपूर्ण रहा। रामवृक्ष बेनीपुरी और भगवती चरण वर्मा की पहली रचनाएं प्रताप में ही छपीं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही,बालकृष्ण शर्मा नवीन,राधामोहन गोकुल सहित तमाम लेखक पत्रकार नियमित रूप से प्रताप में ही लिखते थे। हिन्दी का शायद ही कोई महत्वपूर्ण हिंदी लेखक या पत्रकार हो जिसने प्रताप में न लिखा हो। यह लेखकों पत्रकारों के प्रशिक्षण संस्थान की तरह था।

प्रताप की नीति सर्वधर्म समभाव की नीति थी । प्रताप हिंदू-मुस्लिम सहित सभी कौमों की एकता के लिए काम करता था।राष्ट्र की आशा नामक लेख में विद्यार्थी जी लिखते हैं-
" हम किसी मजहब के विरोधी नहीं। हम इस बात में पूर्ण विश्वास करते हैं कि प्रत्येक उन्नत राष्ट्र में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को मजहबी विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए किंतु हमारे दुखित हृदय से यह आवाज उठे बिना नहीं रह सकती कि आज शताब्दियों से मजहबी झगड़े हमारे देश की अधोगति का मुख्य कारण है । देशभक्त हिंदू और देशभक्त मुसलमानों दोनों को अपने मजहब पर दृढ़ रहते हुए भी स्मरण रखना चाहिए कि मजहबी कर्मकांड और रस्मो रिवाज की रक्षा करने के स्थान पर देश तथा राष्ट्र की रक्षा करना अपनी तथा मनुष्य जाति की उन्नत के लिए कहीं अधिक आवश्यक है।"8

इसी तरह प्रताप की किसानों मजदूरों और उनके संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता सर्वविदित थी । प्रताप किसानों मजदूरों के संघर्षों और पीड़ाओं का मुखपत्र बन गया । प्रताप के सभी अंकों में किसानों की समस्याओं का उल्लेख अवश्य मिलता है। यही वह दौर था जब अंग्रेजों के संरक्षण में सामंत/जमीदार किसानों का शोषण और अत्याचार कर रहे थे। वहीं आजादी के आंदोलन से उपजी राजनीतिक चेतना के चलते किसान भी उनके खिलाफ गोलबंद हो रहे थे । रायबरेली में एकजुट किसानों ने जमीदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया जमींदार ने किसानों पर गोली चलवा दी,इसमें कई किसान मारे गए और बहुत से जख्मी हुए। किसानों की गिरफ्तारियां होने लगीं। "सरकार और जमीदारों के दमन के इस प्रवाह में विद्यार्थी जी ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने किसानों

पर हुए अत्याचार को दूसरा जलियांवाला हत्याकांड ठहराया। दैनिक प्रताप के 13 जनवरी 1921 के अंक में 'डायर शाही ओ डायरशाही' नामक लेख लिखा। किसानों का साथ देने से जहां प्रताप पर सरकार की कुदृष्टि पड़ी वहीं स्थानीय जमींदार भी उससे खफा हो गए। अखबार में प्रकाशित सामग्री को अपने लिए अपमानजनक मानकर जमींदार वीरपाल सिंह ने 'प्रताप' के संपादक पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। इस मुकदमे ने बड़ा राजनैतिक रूप धारण कर लिया ,बचाव पक्ष में 50 गवाह प्रस्तुत हुए। जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,श्रीकृष्ण मेहता और डा० अवंतिका प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे, सेशन अदालत तक मामला गया। लेकिन फैसला प्रताप के विरुद्ध रहा संपादक गणेश शंकर और प्रकाशक नारायण मिश्र को तीन तीन माह की कैद तथा ₹500-500रुपये जुर्माने का दंड मिला।"9

जनहित को ही प्रस्थानबिन्दु मानने के चलते प्रताप ने अंग्रेजों की तरह जनता पर अत्याचार करने वाले देशी राजाओं-सामंतों के खिलाफ मोर्चा खोले रखा।
"ग्वालियर इंदौर उदयपुर मेवाड़ जोधपुर सहित सभी राज्य प्रताप की आलोचना का विषय बने। आलोचनाओं से घबराकर इन नरेशों ने अपने राज्य में प्रताप का आना बंद कर दिया । प्रताप ने देशी राज्यों में जनता पर अत्याचारों का विरोध अवश्य किया किंतु जब उन राज्यों पर अंग्रेजी सरकार ने अत्याचार किए तो उसने उसका भी विरोध किया इस विषय में भरतपुर और इंदौर का नाम लिया जा सकता है।"10
"गणेश जी से यह कभी नहीं होता था कि वह असहायों, पीड़ितों और दलितों की फरियाद की अनसुनी कर दें। एक बार राजपूताना से एक पत्र आया लेखक ने वहां की कुछ रियासतों का बड़ा ही दर्दनाक चित्र खींचा था और गणेश जी से अनुरोध किया कि वह इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लें । लेखक ने अपना नाम और पता नहीं दिया था न ही वह अपना नाम बताने को तैयार थे लेकिन लेखक ने अपने पत्र में गणेश जी को विश्वास दिलाया कि उनकी लिखी बातें सच हैं।बस इसी विश्वास पर पथिक नाम से उनके पत्र प्रताप में छपने लगे। पथिक जी खुद विजय सिंह कहकर प्रकट हुए तब विद्यार्थी ने उनका पूरा नाम जाना।"11
देशी रियासतों के इस आंदोलन में प्रताप को जबकि भारी क्षति उठानी पड़ी लेकिन प्रताप हमेशा की ही तरह अडिग रहा।

इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रताप की पत्रकारिता दृष्टि आदर्श थी, प्रताप ने पत्रकारिता का जो आदर्श गढ़ा वह सदियों तक पत्रकारिता को दिशा देता रहेगा। जीवन में जिस तरह मानवीय मूल्यों की सार्थकता हर काल और स्थान में बनी रहती है, वैसी ही तकनीक बदलने के बावजूद प्रताप द्वारा रचे गए पत्रकारिता के मूल्य चिरस्थायी और सार्थक हैं। भले ही उन मूल्यों को जीने,लागू करने का जोखिम सबमें न हो लेकिन उनको मानने वाले कुछ दुर्लभ लोग हमेशा बनें रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-
1-विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोश,वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली-2008,पृष्ठ सं.38
2-कात्यायनी, सत्यम, चुनी हुई रचनाएँ:गणेश शंकर विद्यार्थी, राहुल फाउंडेशन, लखनऊ-2006,पृष्ठ-12

3- "प्रताप" पत्र, 'प्रताप की नीति', प्रथम अंक,09नवंबर1913,कानपुर,पृष्ठ-1
4- उपरोक्त, पृष्ठ-1
5-हेमंत, 'योद्धा पत्रकार',सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली,2008,पृष्ठ-68
6-उपरोक्त, पृष्ठ-69
7- डा. भवन सिंह राना, राष्ट्रीय जीवनीमाला: गणेश शंकर विद्यार्थी, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली,2017,पृष्ठ-29
8- "प्रताप" पत्र, 'राष्ट्र की आशा',संवत 1971,विजयादशमी-दीपावली विशेषांक,पृष्ठ2
9- तिवारी अटल,"अंतिमजन" पत्रिका,मई 2014,पृष्ठ-41
10-डा. भवन सिंह राना, राष्ट्रीय जीवनीमाला: गणेश शंकर विद्यार्थी, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली,2017,पृष्ठ-37
11- तिलक श्री, युगपुरुष गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रभात प्रकाशन,2013, पृष्ठ-275